न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —31 / 2020(2020 / 00158)
अनवान : —

1. इन्द्राज पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी वार्ड न0 2, नेहरा वाली ढाणी चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— श्री महेन्द्र जांगिड़ **प्रार्थी**
पेरोकार राज **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के खाता सं 126 / 108 के खसरा न0 31 की 3.200 है0, 217 की 3.035 है0, 253 / 1 की 3.7050 है0, 254 की 3.5790 है0, 264 की 2.023 है0, 266 की 5.451 है0, 286 / 1 की 1.6440 है0, 540 की 2.5930 है0, 925 की 1.8840 है0 इस प्रकार कुल 9 की 27.114 हैक्टेयर में प्रार्थी के पिता देबू के नाम 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम देबू पुत्र तुलछा हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम देवीलाल है। प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य सभी दस्तावेज देवीलाल पुत्र तुलछाराम नाम से ही है। प्रार्थी के पिता के सभी दस्तावेजों में नाम देवीलाल पुत्र तुलछाराम ही दर्ज है, जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत 25 आरडब्ल्यूडी एवं अनूपशहर के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है। जमाबन्दी मौजा चक 22 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 33 / 25 में प्रार्थी के पिता का नाम देवीलाल पुत्र तुलछाराम दर्ज है, जिनकी प्रति प्रार्थना पत्र संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम देवू पुत्र तुलछा की जगह देवीलाल पुत्र तुलछाराम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पैरोकार ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी इन्द्राज पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमांबदी ग्राम अनूपशहर सवंत 2071–74 खाता सं 126/108 प्रदर्श 1, जमाबन्दी 22 आरडब्ल्यूडी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 25/18 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत 25 आरडब्ल्यूडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, सरपंच ग्राम पंचायत अनूपशहर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने रोही मौजा 22 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 25/18 में भी प्रार्थी के पिता का नाम देवीलाल पुत्र तुलछाराम दर्ज है, जिनके आधार पर भी नाम संशोधन करने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के खाता सं 126/108 के खसरा न0 31 की 3.200 है0, 217 की 3.035 है0, 253/1 की 3.7050 है0, 254 की 3.5790 है0, 264 की 2.023 है0, 266 की 5.451 है0, 286/1 की 1.6440 है0, 540 की 2.5930 है0, 925 की 1.8840 है0 इस प्रकार कुल खसरा 9 की 27.114 हैक्टेयर में प्रार्थी के पिता के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज करते समय संवहन से देवीलाल पुत्र तुलछाराम की जगह देबू पुत्र तुलछा दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम देवीलाल पुत्र तुलछाराम है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो देवीलाल पुत्र तुलछाराम नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के खाता सं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

126/108 के खसरा न0 31 की 3.200 है0, 217 की 3.035 है0, 253/1 की 3.7050 है0, 254 की 3.5790 है0, 264 की 2.023 है0, 266 की 5.451 है0, 286/1 की 1.6440 है0, 540 की 2.5930 है0, 925 की 1.8840 है0 इस प्रकार कुल 9 की 27.114 हैक्टेयर में प्रार्थी के पिता के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थी के पिता का सही नाम **देबू पुत्र तुलछा की जगह देवीलाल पुत्र तुलछाराम** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच देबू के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में देबू के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी देबू पुत्र तुलछा नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:46 IST
Reason: SelfAttested